International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 1 Issue 8 || August 2012 || PP. 102-107

भारत में महिला शिक्षा के उत्थान हेतु सरकारी प्रयासों का अध्ययन

डॉ. रीता शुक्ला
व्याख्याता हिन्दी विभाग
राजकीय महाविद्यालय बयाना (भरतपुर)

शोध शारांश

लोकतांत्रिक राष्ट्र की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि महिलाएँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी निभाएँ। इसी दृष्टिकोण से भारतीय संविधान में महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक सशक्तिकरण हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। महिला शिक्षा को केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के निर्माण का आधार माना गया है। इसी संदर्भ में जगजीवन राम ने कहा है कि "एक कन्या को पढ़ाने से आने वाली पीढ़ियाँ सुशिक्षित होती हैं।" नेपोलियन के कथन– "आप मुझे सुशिक्षित माताएँ दें, मैं एक सुशिक्षित राष्ट्र दूँगा"–से भी महिला शिक्षा का महत्व स्पष्ट होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक नीतियों एवं योजनाओं का संचालन किया गया, जिनसे महिलाओं की साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज महिलाएँ पुरुषों के समान अधिकार और अवसर प्राप्त कर शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, खेल, प्रशासन आदि सभी क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी सामाजिक रूढ़ियों एवं आर्थिक बाधाओं के कारण चुनौतियाँ बनी हुई हैं, फिर भी सरकारी प्रयासों एवं जागरूकता के माध्यम से महिला शिक्षा का दायरा निरंतर विस्तारित हो रहा है।

की वर्ड :- *महिला शिक्षा, साक्षरता दर, भारतीय संविधान, शिक्षा में समानता, स्त्री सशक्तिकरण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, राधाकृष्णन आयोग (1948-49), मुदालियर आयोग (1952), देशमुख समिति (1958-59), राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद, हंसा मेहता समिति (1962), भक्तवत्सलम् समिति, कोठारी आयोग (1964-66), राममूर्ति समीक्षा समिति (1990-91), अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, ग्रामीण बालिका शिक्षा*

प्रस्तावना

आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षा के अवसरों में समानता की बात करते समय महिला और पुरुष की शिक्षा व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही यह मान्यता रही है कि स्त्री समाज की नैतिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत उन्नति की मूल धुरी है। वैदिक काल में महिलाओं को उच्च सम्मान प्राप्त था और उन्हें परिवार एवं समाज का महत्वपूर्ण आधार माना जाता था। "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" जैसा कथन स्त्री की गौरवपूर्ण स्थिति का प्रमाण है। किन्तु समय के साथ मध्यकाल में महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता दोनों में भारी गिरावट आई। स्त्री को केवल गृहस्थ जीवन और

पुरुष आश्रित भूमिका तक ही सीमित कर दिया गया। इस स्थिति पर चिंतन करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारतीय नारी निर्भरता और दासत्व की बेड़ियों में जकड़ी हुई है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में महिला शिक्षा के उत्थान के लिए व्यापक परिवर्तन हुए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की बराबर भागीदारी को सुनिश्चित करना राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक माना गया। इसी उद्देश्य से भारतीय संविधान में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक समानता प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। जगजीवन राम का कथन–"एक कन्या की शिक्षा अनेक पीढ़ियों को सुशिक्षित करती है"–तथा नेपोलियन का विचार–"सुशिक्षित माताएँ ही सुशिक्षित राष्ट्र का निर्माण करती हैं"–महिला शिक्षा के महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। 1947 के बाद सरकार द्वारा योजनाओं, आयोगों एवं नीतियों के माध्यम से महिला साक्षरता बढ़ाने के लिए सतत प्रयास किए गए, जिनके परिणामस्वरूप आज महिलाएँ समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सशक्त भूमिका स्थापित कर रही हैं। इस प्रकार आधुनिक भारत में महिला शिक्षा एक नए परिवर्तनशील युग का प्रतीक बनकर उभर रही है।

राधाकृष्णन आयोग (1948-49) - भारत में उच्च शिक्षा के समग्र विकास और सुधार के सुझाव प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया था। इसलिए इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। यह स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था, जिसने सामाजिक और शैक्षिक संरचना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका मुख्य फोकस उच्च शिक्षा के क्षेत्र पर था, फिर भी आयोग ने महिला शिक्षा को समाज के विकास का आधार मानते हुए इस क्षेत्र में भी ठोस सुझाव प्रस्तुत किए। आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि देश को प्रगतिशील और आधुनिक बनाना है, तो स्त्री को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। आयोग के अनुसार – "शिक्षित स्त्रियों के बिना शिक्षित व्यक्ति और शिक्षित समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती।" इस विचार से यह स्पष्ट होता है कि महिला शिक्षा सिर्फ सामाजिक सद्भाव के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए भी अनिवार्य है। राधाकृष्णन आयोग ने सुझाव दिया कि उच्च शिक्षा के अवसर स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से उपलब्ध कराए जाएँ तथा महिलाओं को केवल पारिवारिक दायित्वों तक सीमित न मानकर उन्हें समाज के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान हों। यह भी महत्वपूर्ण माना कि महिलाओं के लिए विशिष्ट शैक्षणिक सुविधाएँ, छात्रवृत्तियाँ, हॉस्टल और व्यावसायिक शिक्षा की संभावनाएँ विकसित की जाएँ, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और राष्ट्रीय जीवन में सक्रिय भागीदार के रूप में उभरें।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर आयोग) : 1952

भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु विभिन्न आयोगों का गठन किया। इसी क्रम में 23 सितम्बर 1952 को डॉ. लक्ष्मणस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को अधिक प्रभावी, व्यावहारिक तथा रोजगारपरक बनाना था। आयोग ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए महिला शिक्षा को समय की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (देशमुख समिति 1958-59) तथा राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन - द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-57) के दौरान स्त्रीय शिक्षा के प्रसार तथा शिक्षिकाओं के उचित शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए

विशेष प्रावधान बनाए गए। इसी संदर्भ में अपने सुझाव प्रस्तुत करने के लिए केन्द्र सरकार ने श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में वर्ष 1958 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा-समिति का गठन किया। समिति ने फरवरी 1959 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें स्त्री शिक्षा के संदर्भ में सुझाव दिया कि, स्त्रियों की समुचित शिक्षा के लिए अलग से प्राशासनिक ढाँचा बनाए जाए। राष्ट्रीय स्तर पर 'राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद' तथा प्रांतीय स्तर पर 'राज्य महिला शिक्षा परिषद' का गठन किया जाए। ये परिषदें स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उत्तरदायी होंगी। देशमुख समिति के सुझाव व सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1959 में केन्द्र सरकार ने "राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद" का गठन किया। जिसके निर्देशन में स्त्री शिक्षा को काफी तीव्र गति मिली। तत्कालीन सरकार के उक्त प्रयासों का ही नतीजा था कि वर्ष 1951 में छात्राओं की संख्या जहाँ 60 लाख थी, वहीं वर्ष 1961 में बढ़कर 140 लाख तक पहुँच गई।"

हंसा मेहता समिति (1942) - तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66) के दौरान महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1962 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद (NCWF) ने श्रीमती हंसा मेहता की अध् यक्षता में स्त्री शिक्षा के पुनर्गठन हेतु सुझाव देने के लिए 'हंसा मेहता समिति' का गठन किया। समिति ने प्राथमिक स्तर पर लड़के-लड़कियों के लिए समान पाठ्यक्रम, माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए गृह विज्ञान शिक्षा, बालिकाओं के लिए अलग से व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था किये जाने का सुझाव दिया।

कोठारी आयोग (1964-66)

तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा हंसा मेहता समिति का गठन किया गया। इसके पश्चात वर्ष 1963 में भक्तवत्सलम् समिति का गठन किया गया, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के सुधार एवं पुनर्गठन से संबंधित सुझाव प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। समिति ने ग्रामीण स्त्री शिक्षा के व्यापक विस्तार हेतु आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ, संसाधन, अनुदान और प्रोत्साहन उपलब्ध कराने तथा सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रभावी सरकारी उपाय करने की अनुशंसा की। 14 जुलाई 1964 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. डी. एस. कोठारी की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय कोठारी आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने स्त्री शिक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। पुरुषों के समान शैक्षिक अवसर, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा,विद्यालयों की संख्या में वृद्धि,महिला शिक्षकों की संख्या बढ़ाना,सुरक्षित एवं उपयुक्त वातावरण,वित्तीय सहयोग एवं प्रोत्साहन,शिक्षा में भेदभाव समाप्त करना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)-

सन् 1986 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्त्रियों की शिक्षा में व्यापक परिवर्तन लाने की संकल्पना की गयी। 1986 को शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन से सम्बन्धी कार्य योजना दस्तावेज नवम्बर 1986 में प्रकाषित किया गया। इस कार्ययोजना को 24 भागों में विभाजित किया गया। जिसका 12 वाँ भाग "नारी समानता के लिए शिक्षा" के नाम से उल्लिखित व प्रकाशित किया गया। इस भाग में बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल व कॉलेज खोलने, बालिकाओं के लिए और अधिक छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करने और शिक्षकों की नियुक्ति में महिला शिक्षिकाओं को वरीयता देने लिए कार्ययोजना प्रस्तुत की गई।

राममूर्ति समीक्षा समिति (1990-91)- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए मई 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक 17 सदस्तीय समिति का गठन किया। समिति ने बालिका शिक्षा के लिए सुझाव दिये। शिक्षा में समान अवसर,ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष प्रयास,स्कूलों में सुरक्षा और अनुकूल वातावरण,महिला शिक्षकों की नियुक्ति को बढ़ावा, आर्थिक सहायता व प्रोत्साहन योजनाएँ, सामुदायिक भागीदारी पर जोर, एवं कौशल आधारित शिक्षा का प्रावधान, ड्रॉपआउट रोकने के लिए विशेष कार्यक्रम,शिक्षा में लैंगिक भेदभाव समाप्त करने की सलाह आदि।

सर्व शिक्षा अभियान - भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। यह अभियान शिक्षा के स्तर को सुधारने, विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएँ विकसित करने, शिक्षक प्रशिक्षण, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने तथा दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित करने पर विशेष जोर देता है। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य शिक्षा में समानता स्थापित करना और किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित न रहने देना है। इस अभियान के माध्यम से शिक्षा का प्रसार ग्रामीण एवं दूर-दराज़ के क्षेत्रों तक किया गया है, जिससे देश में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है।

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जुलाई 2004 से "कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना" भी शुरू की गई। जिसके अन्तर्गत गरीब, पिछड़े तथा अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं के लिए आवसीय बालिका उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना का कार्य शुरू किया गया।

इसमें 25 प्रतिशत स्थान गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं। अब तक देशभर में इस प्रकार के 2000 आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है। जिनमें 2 लाख छात्राएं पंजीकृत हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के अधिकांश भागों में माध् यमिक स्तर तक बालिका शिक्षा को सरकारी स्तर पर शुल्क मुक्त कर दिया गया। कुछ राज्यों ने तो उच्च शिक्षा स्तर पर स्त्री-शिक्षा निःशुल्क करने की घोषणा कर दी। वर्ष 2005-06 तक देश के अध्ययनरत छात्राओं की संख्या 10.9 करोड़ हो गई। जो कि वर्ष क 2001 की तुलना में 2.63 करोड़ अधिक थी।"

बालिका शिक्षा हेतु विशिष्ट प्रयास : मुदालियर आयोग के संदर्भ में

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952) ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय प्रगति तभी संभव है जब महिलाएँ शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त करें। आयोग का यह मानना था कि स्वतंत्र भारत में बालिकाओं को शिक्षित करना राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। इसलिए आयोग ने बालिका शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए कई विशिष्ट प्रयासों की अनुशंसा की, ताकि महिलाएँ समाज में अपने अधिकारों और कर्तव्यों को आत्मविश्वास के साथ निभा सकें।

शिक्षा के सार्वभौमिक अवसर प्रदान करना

आयोग ने बालिकाओं की शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने पर विशेष जोर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में कन्या विद्यालयों की संख्या बढ़ाने, स्कूलों में आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने और बालिकाओं के प्रति समाज की

रूढ़िवादी सोच को कम करने के प्रयास सुझाए गए। आयोग का स्पष्ट कहना था कि किसी भी बालिका को आर्थिक, सामाजिक या पारिवारिक कारणों से शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए।

पाठ्यक्रम में विविधता और विकल्पों का प्रावधान

बालिकाओं को सीमित दायरे में रखकर शिक्षा देना आयोग को स्वीकार्य नहीं था। इसलिए उसने अनुशंसा की कि बालिकाओं को कला, वाणिज्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी जैसे विषयों के साथ-साथ गृह-विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा के विकल्प भी प्रदान किए जाएँ। इससे बालिकाएँ अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार भविष्य का चयन कर सकेंगी और किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकेंगी।

व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा का विस्तार

मुदालियर आयोग ने यह महसूस किया कि केवल सामान्य शिक्षा बालिकाओं को आत्मनिर्भर नहीं बना सकती। इसलिए तकनीकी शिक्षा, हस्तकला, कम्प्यूटर एवं व्यवसाय कौशल जैसे नौकरीपरक कार्यक्रमों को बालिका शिक्षा में शामिल करने की बात कही गई। इसका उद्देश्य था कि बालिकाएँ आर्थिक रूप से मजबूत होकर जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के समान योगदान दे सकें।

शिक्षक प्रशिक्षण एवं महिला शिक्षकों की संख्या बढ़ाना

आयोग ने अनुशंसा की कि बालिकाओं के लिए अलग से प्रशिक्षित शिक्षकों, विशेषकर महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। महिला शिक्षकों की उपस्थिति बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाती है तथा उन्हें विद्यालय में सुरक्षित और सहज वातावरण प्राप्त होता है। साथ ही, शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बालिका शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने पर भी बल दिया गया।

सुरक्षा, स्वास्थ्य और विद्यालय वातावरण सुधार

बालिकाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आयोग ने पर्याप्त शौचालयों, चिकित्सा सुविधाओं, स्वच्छ पेयजल तथा सुरक्षित मार्ग जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के विकास का सुझाव दिया। आयोग का लक्ष्य था कि बालिकाओं को ऐसा विद्यालय वातावरण मिले जहाँ वे बिना किसी भय और संकोच के शिक्षा प्राप्त कर सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. पाण्डेय, रामशकल डॉ, उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक अग्रवाल पब्लिकेषन, आगरा-2 पृ.682.
2. वही पृष्ठ 569.
3. गुप्ता, अरुणा डॉ., टण्डन उमा डॉ, उदीयमान भारतीय समज में शिक्षक, आलोक प्रकाशन, लखनऊ पृ. 569.
4. वही पृष्ठ 569.
5. रुहेला, पाल सत्य प्रो. शिक्षा के दार्शनिक तथा समाज शास्त्रीय आधार, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा-2 पृ. 248.

6. गुप्ता, अरुणा डॉ., टण्डन उमा डॉ. उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, आलोक प्रकाशन 17. लखनऊ, पृ. 570.

7. त्यागी, एवं पाठक, भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास, बुकमान पब्लिकेषन्स दिल्ली, पृ. 95.

8. लाल, बिहारी रमन, भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्याएँ रस्तोगी पब्लिकेषन्स, मेरठ, पृ. 202.

9. वही पृष्ठ 203.

10. गुप्ता, पी.एस.प्रो. भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास, शारदा पुस्तक भावन, इलाहाबाद पृ. 117.

11. वही पृष्ठ 123.

12. लाल, बिहारी रमन, भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्याएँ रस्तोगी पब्लिकेशन्स मेरठ पृ. 289.

13. पाठक, डी.पी. भारतीय शिक्षा का इतिहास, अग्रवाल पब्लिकेशन्स पृ. 150.

14. सिंह, मदन, समावेशी शिक्षा आर.लाल. बुक डिपो मेरठ पृ.51.